P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अग्रणी बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय सुविधाओं में हितग्राहियों की स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन (जबलपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

संजय कुमार रजक
सहायक प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
संत अलॉयसियस
महाविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

सारांश

यह देखा गया है कि बैंक के माध्यम से हितग्राही को ऋण तो उपलब्ध करा दिया जाता हैं, परन्तु वह व्यक्ति जिसे ऋण प्रदान किया गया हैं वह ऋण भुगतान एवं आय प्राप्त करने के लिए व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित कर भी रहा हैं अथवा नहीं। इसके लिए बैंक अधिकारियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों को यह दायित्व सौपा जाना चाहिए कि वह मासिक आधार पर दी गयी परिसंपत्ति या ऋण से प्राप्त व्यवसाय का सर्वेक्षण करें।

प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा गया है कि स्वीकृत ऋण राशि की वास्तविक राशि हितग्राही को नहीं मिल पाती हैं क्योंकि मध्यस्थों द्वारा अधिकांश राशि हड़प ली जाती हैं अतः बैंक भी ऋण वितरण की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए जिससे को ऋण की संपूर्ण राशि प्राप्त हो सकें और वह इस राशि का सार्थक उपयोग कर सकेगा।

मुख्य शब्द : अग्रणी बैंक, वित्तीय सुविधाएँ।

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अनेक संरचनात्मक एवं संगठनात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। देश में नियोजित विकास के संदर्भ में भारत सरकार तथा रिजर्वबैंक ऑफ इंडिया ने अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किये ताकि देश के आर्थिक विकास में बैंकिंग संस्थायें अधिकाधिक योगदान प्रदान कर सकें। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ताकि रिजर्व बैंक देश के आर्थिक विकास में अधिकाधिक योगदान कर सकें। सी.डी.आर. गाडगिस की अध्यक्षता में गठित अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार आर्थिक विकास हेतु क्षेत्र उन्मुखता की अवधारणा को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से दिसम्बर 1969 से अग्रणी बैंक योजना प्रारम्भ की गई थी। जबलपुर जिले में ''सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंण्डिया'' को अग्रणी बैंक के उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन का मूल उद्देश्य किसी विषय पर मौलिक रूप में बौद्धिक मंथन और अनुचिंतन के माध्यम से ज्ञात आयामों को प्रकाशित और विस्तृत करना होता है । म.प्र. एक ग्रामीण बहुल राज्य है साथ ही साथ राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की संख्या भी अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। इस वर्ग का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य का यह प्रथम उद्देश्य है कि वह अपने राज्य की समस्त जनता को आर्थिक दृष्टि से खुशहाली प्रदान करें।

इस दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि ग्रामीण अंचलों के आर्थिक विकास पर शासन पर्याप्त ध्यान दें । शासन द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्त प्रवाहित करने की नीति बनाई गई हैं इस नीति के अंतर्गत ही व्यापारिक बैंक कृषि विकास, ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग विकास तथा ग्रामीण हस्तशिल्प कला के विकास हेतु ग्रामवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।

किसी क्षेत्र के विकास में बैंकिंग सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता हैं। बैंकिंग सुविधाएँ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके इसके लिये सरकारी नीति तथा बैंकिंग नीति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। प्रारम्भ में बैंकों के विकास से लेकर आज तक बैंकों द्वारा दी जानी वाली सुविधाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था विकास में बैंकों का विशेष योगदान रहा हैं।

आज निजी बैंकों में हुए विस्तार से सार्वजनिक बैंकों तथा निजी बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बैंकिंग सुविधाओं में भरपूर वृद्धि हुई है। जिससे आम लोगों को मिलने वाली वित्तीय सुविधाओं में काफी इजाफा हुआ है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन सहज सुलभ हैं, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया जबलपुर की शाखाओं व क्षेत्रीय कार्यालय से प्राथमिक समंक एकत्रित किए गये अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित शोध कार्य के निम्न उद्देश्य रखे गये हैः–

1. केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक के प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों के ऋण सुविधा के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों में क्रियान्वयन में अग्रणी बैंक की भूमिका का पता लगााना ।
2. अग्रणी बैंक का ग्रामीण विकास में वित्तीय सुविधाओं के योगदान का अध्ययन करना।
3. अग्रणी बैंक का व्यावसायिक प्रगति स्थिति एवं उपलब्धियों का अध्ययन करना ।
4. वित्त सुविधा प्रदान करने में प्राप्तकर्त्ता व बैंक के समक्ष आने वाली कठिनाईयाँ व उन्हें दूर करने के सुझाव ।

परिकल्पना

प्रस्तावित शोध कार्य के संबंध में निम्न परिकल्पनाओं को विकसित किया गया है –

1. व्यक्तियों को प्रदत्त सुविधाओं में अग्रणी बैंक की भूमिका संतोषजनक हैं ।
2. अग्रणी बैंक का प्रबंधकीय व्यवस्था उत्तम हैं ।
3. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास में अग्रणी बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण रही है ।
4. समाज के कमजोर वर्ग के हितग्राहियों तथा महिला हितग्राही को प्रदत्त ऋण सुविधा हेतु दृढ़ इच्छाशक्ति तथा प्रयासों की गंभीरता का अभाव हैं ।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को वित्तीय सुविधाओं का पर्याप्त लाभ मिल रहा हैं। इससे कृषक की आर्थिक स्थिति में अनुकूल आर्थिक बदलाव आया हैं ।

शोध प्रविधि

किसी भी शोध कार्य को पूर्ण करने में जिन–जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम शोध प्रविधि कहते हैं। शोध प्रविधि एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अनुसार मार्ग भ्रमण करते शोधकर्ता अपने गंतव्य अथवा लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करता हैं । शोध विधि द्वारा समंको को प्राप्त किया जा सकता है और उनका विधिवत् विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है एवं समस्याओं के मूलभूत कारणों को ज्ञात किया जा सकता है। शोधविधि इस बात को सुनिश्चित करती है कि अध्ययन की दिशा क्या होगी तथा अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं। इस प्रकार सारगर्भित शोध अध्ययन के निम्नलिखित तीन आयाम हो सकते है –

1. अग्रणी बैंक द्वारा प्रदत्त साख सुविधाओं में आर्थिक सामाजिक जटिलताओं व समस्याओं का विश्लेषात्मक अध्ययन करना।
2. समस्याओं का समाधान अवलोकनात्मक विधि द्वारा अध्ययन करना।
3. सर्वेक्षण द्वारा व्यक्तियों/हितग्राहियों से संपर्क करते हुए वास्तविक तथ्यों का संग्रहण करना ।

उपयुक्त रीति द्वारा उचित समंकों को प्राप्त किया जा सकता है और उनका विधिवत विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है एवं समस्याओं के मूलभूत कारणों को ज्ञात किया जा सकता हैं । शोध विधि इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि अध्ययन की दिशा क्या होगी। शोध डिजाइन को तैयार करते समय समस्याओं की रचना सबसे अहम बात होती है क्योंकि समस्याओं के आधार पर हो शोध के उददेश्य को सुस्पष्ट किया जा सकता है । निर्देशात्मक एवं निदानात्मक शोघ विधियों के समान तकनीकों पर आधारित होती है ।[2]

अतः वे पूर्ण शोध स्वरूप धारण करती है । प्रस्तुत अध्ययन इसी प्रकार के शोध को लेकर गतिमान हैं। अग्रणी बैक का शहरी, अर्द्धशहरी व ग्रामीण क्षेत्र में प्रदान वित्तीय सुविधा का कितना योगदान है तथा जबलपुर जिले के हितग्राहियों ने इसका कितना लाभ उठाया हैं । ये दो कारक परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते है तथा दोनों ही परस्पर आश्रित भी हैं। निर्देशात्मक शोध वर्तमान कारकों या लक्षणों को प्रकट करता हैं। जबकि निदानात्मक शोध अध्ययन अन्य कारणों व विचलनों के मध्य संबंध प्रकट करता हैं ।

वस्तुतः शोध एक योजना हैं जो अनुसंधानात्मक प्रक्रिया को ढांचे तथा रणनीति को रूपायित करती है। ऐसा रूपांतरण शोध प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ होता हैं। शोध विषय की प्रकृति के अनुसार ही शोध डिजाइन नहीं की जाती बल्कि धन, समय, प्रशिक्षित मानव शक्ति और उपलब्ध परिस्थितियाँ भी शोध डिजाइन को प्रभावित करती हैं । सामान्यतः शोध डिजाइन निम्नलिखित चार बिंदुओं के अंतर्गत अपना आकार ग्रहण करती हैंः–

1. निदर्शन डिजाइन (Sample Design)
2. सर्वेक्षण डिजाइन (Survey Design)
3. सांख्यिकीय डिजाइन (Statistical Design)
4. क्रियात्मक डिजाइन (Operative Design)

शोध

अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत संचालित विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जबलपुर जिले के अग्रणी बैंक 'सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया' की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। इससे अग्रणी बैंक का आर्थिक सहयोग कृषि व सहायक क्रियायें, लघु उद्योग व सेवा क्षेत्र में स्पष्ट होता है। प्रस्तुत शोध में अग्रणी बैंक योजना का मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है।

हितग्राहियों का सर्वेक्षण

सर्वेक्षण हेतु जबलपुर जिले के अंतर्गत कुंडम, मंझोली, पनागर, पाटन, शहपुरा, सिहोर जनपद का चयन किया गया है। जबलपुर शहर के समीप होने के कारण यहां कृषि, लघु उद्योग व सेवा क्षेत्र की व्यवसायिक इकाईयों का स्थापना व उनके परिचालन की सम्पूर्ण सम्भावनायें विद्यमान हैं। कुल **360** हितग्राहियों का चयन यादृच्छिक आधार पर किया गया। सभी हितग्राहियों को एक प्रश्नावली अनुसूची उपलब्ध कराई गई।

प्रश्नावली में दिये गये प्रश्नों के उत्तर हितग्रहियों से भरवाये गये। कुछ ऐसे भी हितग्राही मिले

जो कि उत्तर स्वयं देने में असमर्थ थे, उनसे प्राप्त उत्तरों को शोधार्थी द्वारा प्रश्नावली अनुसूची में अंकित कर लिया गया। प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के वर्गीकरण सारणीयन व विश्लेषण के उपरांत प्राप्त परिणामों को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

कृषि भूमि का विवरण

कुल हितग्राहियों में से 247 हितग्राही (68.61 प्रतिशत) कृषि भूमि के स्वामी हैं। इन्होंने अग्रणी बैंक से कृषि गतिविधियों के लिये ऋण प्राप्त किया है। इन हितग्राहियों को कृषि भूमि के संबंध में विवरण इस प्रकार हैं।

भूमि का आकार

कृषि भूमि के आकार के आधार पर हितग्राहियों (कृषकों) को सीमांत, लघु व मध्यम श्रेणी के कृषकों की श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है।

तालिका क्रमांक 1

क्र	कृषक वर्ग	संख्या	प्रतिशत
1	सीमांत कृषक	67	27.13
2	लघु कृषक	36	14.57
3	मध्यम कृषक	144	58.30
	योग	247	100

स्रोत– सर्वेक्षण पर आधारित।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कुल कृषक हितग्राहियों में लघु कृषकों की संख्या सबसे कम 36 (14.57 प्रतिशत) हैं, जबकि सीमांत कृषकों की संख्या 67 (27.13प्रतिशत) है। मध्यम कृषकों की संख्या सबसे अधिक 144 (50.30 प्रतिशत) है।

कृषि भूमि का प्रकार

कृषक हितग्राहियों की भूमि को सिंचित व असिंचित भूमि के रूप में विभक्त किया गया है। कुल कृषि भूमि में से सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत 48.67 है। जबकि असिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत 51.33 है।

कृषि भूमि	क्षेत्रफल (प्रतिशत में)
(1) सिंचित कृषि भूमि	48.67
(2) असिंचित कृषि भूमि	51.33

कृषि भूमि	भू–धारकों का प्रतिशत
(1) सिंचित	8.69
(2) असिंचित	43.34
(3) दोनों (सिंचित व असिंचित)	47.97

कृषि भूमि में से 8.69 प्रतिशत के पास केवल सिंचित भूमि है जबकि 43.34 प्रतिशत के पास असिंचित व 47.97 कृषि धारकों के पास दोनों प्रकार की भूमि हैं। स्पष्ट है कि सिंचित भूमि का क्षेत्रफल कम होने व इस प्रकार की भूमि के धारकों की संख्या सीमित होने के कारण कृषि कार्य में संलग्न व्यक्तियों को, बेहतर आय की संभावनायें भी सीमित हैं।

रोजगार

सर्वेक्षण से यह प्रकट होता है कि 54 (15 प्रतिशत) हितग्राहियों ने अपने उद्यम में अपने परिवार के सदस्यों को तथा 64 (17.77 प्रतिशत) हितग्राहियों ने बाहरी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है। अपनी उद्यमीय गतिविधियों में अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार प्रदान करने वाले हितग्राहियों ने प्रारंभ में उद्यम में भागीदार हो गये। बाहरी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले हितग्राही मुख्यतः डेरी, मुर्गी पालन एवं ब्यूटी पार्लर उद्योग से हैं।

तालिका क्रमांक– 2

रोजगार उपलब्ध कराने वाले हितग्राहियों की संख्या

क्र	रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	परिवार के सदस्यों को रोजगार प्रदान करने वाले हितग्रहियों की संख्या	बाहरी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले हितग्राहियों की संख्या
1	0–2	29	8
2	2–4	18	9
3	4–6	7	7
4	6–8	–	19
5	8–10	–	18
6	10–12	–	3
	कुल	54	64

विभिन्न गतिविधियों के अनुसार हितग्राहियों की संख्या

तालिका क्रमांक– 3

विभिन्न गतिविधियों अनुसार हितग्राहियों की संख्या

क्र	गतिविधि	हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	318	66.26
2	लघु उद्योग क्षेत्र	92	19.16
3	अन्य प्राथमिक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र)	70	14.58
	योग	480	100

स्रोतः सर्वेक्षण पर आधारित

अग्रणी बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को उनकी ऋण सम्बंधी आवश्यकता, उपयोग व गतिविधियों के आधार पर तीन वर्गों में विभक्त किया गया है।

सर्वेक्षित हितग्राहियों में सर्वाधिक 318 हितग्राहियों (66.26 प्रतिशत) हितग्राहियों द्वारा कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण लिया गया। जिसमें से 240 हितग्राहियों ने प्रत्यक्ष कृषि ऋण लिया। प्रत्यक्ष कृषि ऋण लेने वाले हितग्राहियों में सर्वाधिक 86 हितग्राहियों द्वारा स्प्रिंकलर एवं विद्युत पंप क्रय करने हेतु ऋण लिया गया। इसके पश्चात् क्रमशः 38 हितग्राहियों ने ट्रेक्टर, 17 ने ट्यूबवेल, 11 ने खाद एवं बीज, 7 ने थ्रेशर 2–2 हितग्राहियों ने सीड ड्रिल एवं कृषि भूमि हेतु तथा 1 हितग्राही द्वारा कुंआँ खुदवाने के लिये ऋण लिया गया। संबंधित गतिविधियों के लिये कुल 39 हितग्राहियों द्वारा ऋण लिया गया जिसमें सर्वाधिक 18 हितग्राहियों ने डेयरी (दुग्ध व्यवसाय), 13 ने मुर्गी पालन, 5 ने मछली पालन एवं 3 हितग्राहियों ने फलों के बगीचे लगाने के लिए ऋण लिया है। लघु उद्योग स्थापित करने के उद्देश्यसे 46 (19.16प्रतिशत) ने ऋण प्राप्त किया। इनके द्वारा

अगरबत्ती, मोमबत्ती, चाक, फाइल कवर, जूते, खिलौने, गलीचा, चूड़ियाँ, स्क्रू बनाने की इकाईयाँ स्थापित की गई हैं। अन्य हितग्राहियों द्वारा फोटोकापी, ब्यूटी पार्लर, स्टेशनरी, वीडियों शूटिंग, किराना, कैसिट, गैरेज, आटा चक्की, सिलाई की दुकान प्रारंभ करने के लिए ऋण लिया है, शेष 9 हितग्राहियों द्वारा आटो रिक्शा खरीदने के लिए ऋण लिया गया।

सेवा क्षेत्र में कुल 70 हितग्राहियों (14.58 प्रतिशत) ने ऋण लिया है। सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक 44 हितग्राहियों द्वारा भवन निर्माण एवं मौजूदा भवन की मरम्मत हेतु ऋण लिया गया है। 20 हितग्राहियों द्वारा उपयोग ऋण, 6 हितग्राहियों द्वारा ऑफिस बनाने एवं 2 क्लीनिक प्रारंभ करने के लिए ऋण लिया गया है।

सर्वेक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि अनेक हितग्राहियों को आवेदित ऋण राशि से कम ऋण राशि स्वीकृत की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वे पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार अपने उद्यम कर संचालन नहीं कर सके। इससे उन्हें अपेक्षित लाभ भी नहीं हुआ है, कुछ हितग्राहियों पे इससे उन्हें हानि होने की भी जानकारी प्रदान की। चयनित हितग्राहियों द्वारा आवेदित एवं प्राप्त ऋण राशि का विवरण इस प्रकार है।

हितग्राहियों की रोजगार संबंधी पृष्ठभूमि व वर्तमान स्थिति

सर्वेक्षण हेतु चयनित हितग्राहियों से उनकी रोजगार संबंधी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्यसे पूछ गये प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई।

तालिका क्रमांक 4

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	बेरोजगार	83	23.05
2	नौकरी	34	9.45
3	व्यसाय	243	67.5
	कुल	360	100

सर्वेक्षण हितग्राहियों में से 23.05 प्रतिशत हितग्राही अग्रणी बैंक से ऋण लेकर रोजगार युक्त हो सके। इससे पहले वे बेरोजगार थे।

अग्रणी बैंक से ऋण लेकर व्यवसाय कर रहे हितग्राहियों में से 9.45 प्रतिशत हितग्राही नौकरी करते थे। अग्रणी बैंक से ऋण लेकर इन्होने बेहतर आयस्तर/अधिक आय उपार्जन की आशा से स्वयं का व्यवसाय स्थापित किया। इनमें से अधिकांश ने लगभग वैसे ही व्यवसाय स्थापित किये जिनमें वे पहले नौकरी करते थे। नौकरी के दौरान उन सभी को संबंधित व्यवसाय में कार्य व व्यवसाय का अनुभव प्राप्त हुआ। इस अनुभव के आधार पर अग्रणी बैंक से ऋण प्राप्त करने में उन्हें सहूलियत हुई है। शेष 67.5 प्रतिशत हितग्राही ऐसे है जो कि पहले से ही अपने पारिवारिक व्यवसाय में संलग्न थे। ऐसे व्यवसाय का उन्हें बचपन से अनुभव था। अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत उन्होंने अपने विद्यमान व्यवसाय में अधिक पूंजी निवेश करके उसका विस्तार किया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अग्रणी बैंक मुख्यतः 58 बेरोजगारों व 86 नौकरी करने वाले कुल 144 व्यक्तियों 40% को ही नये रोजगार अवसर प्रदान कर सका। शेष 216 व्यक्ति (73.75 प्रतिशत) पहले से ही रोजगार में थे। इनके व्यवसाय में विस्तार की संभावनाएं थीं, अतः व्यवसाय का विस्तार किये जाने से इनमें अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ होगा। इससे रोजगार–रत मानव शक्ति का अधिकाधिक उपयोग भी संभव हो सका है।

आय स्तर में वृद्धि/कमी

प्रत्येक हितग्राही द्वारा अग्रणी बैंक से ऋण लेने का प्रमुख उद्देश्य अपने आय स्तर को बढ़ाना रहा हे। बेरोजगारों द्वारा स्वयं के व्यवसाय की स्थापना से, निश्चय ही इन्हें जीवकोपार्जन का सहारा मिला और वे आत्म निर्भर बने। जो हितग्राही अन्यत्र संगठनों में सेवारत थे उन्होंने अन्य संगठनों को छोड़कर, अपने व्यवसायों की स्थापना अधिक आय अर्जित करने के उद्देश्य से ही की थी ठीक ऐसा ही उद्देश्य उन हितग्राहियों का भी रहा जिन्होने कि अपने विद्यमान/पैतृक व्यवसाय का विस्तार करने के उद्देश्य से ऋण लिया है। इन हितग्राहियों से जब यह पूंछा गया कि ''क्या वे अधिक आय कमाने में सफल रहे''? तो इस संबंध में ''हाँ व नहीं'' दोनों उत्तर प्राप्त हुये।

1. अधिक आय कमाने में सफल रहे –224 (62.23%)
2. अधिक आय कमाने में विफल रहे –136 (37.37%)

अधिक आय कमाने में सफल व विफल रहे, हितग्राहियों का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

तालिका क्रमांक 5

विभिन्न गतिविधियों के अनुसार सफल/विफल हितग्राहियों का क्षेत्रवार विवरण

क्र	क्षेत्र	कुल संख्या	सफल रहे		विफल रहे	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ	224	152	67.85	72	32.15
2	लघु उद्योग	90	35	38.89	55	61.11
3	सेवा क्षेत्र	46	45	97.82	1	2.18
	कुल	360	232	–	128	–

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में 67.85 प्रतिशत हितग्राही अधिक आय कमाने में सफल रहे। जबकि 32.15 प्रतिशत हितग्राही इसमें विफल रहे। कृषि क्षेत्र में अपेक्षित आय न हो पाने का प्रमुख कारण मानसून की अनियमितता व कीड़ों का प्रकोप था, जबकि संबंधित गतिविधियों में पशुओं की बीमारी इसका प्रमुख कारण पाया गया।

लघु उद्योग क्षेत्र में 38.89 प्रतिशत हितग्राही अधिक आय अर्जित करने में सफल रहे, जबकि 61.11 प्रतिशत हितग्राही इसमें विफल रहे। लघु उद्योग क्षेत्र में

अधिक आय न कमा पाने का प्रमुख कारण उत्पाद की माँग न होना एवं अत्यधिक व्यवसायिक प्रतियोगिता पाया गया है। इस क्षेत्र में हितग्राहियों का मानना है कि वे भविष्य में अपने व्यवसाय से अपेक्षित लाभ/आय अवश्य अर्जित कर सकेंगे।

सेवा क्षेत्र में 40 हितग्राहियों द्वारा भवन निर्माण के लिये ऋण लिया गया। शेष 6 के द्वारा सेवा प्रदायक उद्यम प्रारंभ किया गया। इसमें से 1 हितग्राही अपने कार्य उद्देश्य में विफल रहा जबकि अन्य सभी ने अपनी सफलता के प्रति संतोष व्यक्त किया। भवन निर्माण करने वाले हितग्राहियों का यह मानना है कि इससे उनके रहन सहन के स्तर में सुधार हुआ है जो संतोषजनक पक्ष है।

सर्वेक्षण हेतु चयनित हितग्राहियों से उनके उद्यम के लाभ/हानि के बारे में पूछे जाने पर वे स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बतला सके। वे केवल इतना ही बतला सके कि वे अपने उद्यम से हानि हो रही है। इस बारे में जब उनसे विस्तार से पूछा गया तो यह ज्ञात हुआ कि वे अपने व्यवसाय का लेखा तैयार नहीं करते हैं।

ऋण वापसी/ऋण अतिदेयता

वर्तमान समय में ग्राहकों द्वारा ऋण लेने के पश्चात उसकी समय पर वापसी न करना या अत्यधिक विलम्ब से वापस करना बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। इससे स्वयं बैंकों की रूग्णता की समस्या दिनों दिन गहन होती जा रही है। अग्रणी बैंकों से ऋण अतिदेयता की समस्या दिनों–दिन कठिन होती जा रही है।

प्रस्तुत अध्ययन में हितग्राहियों से सर्वेक्षण के दौरान ऋण राशि की अदायगी के संबंध में पूछे जाने पर निम्न विवरण ज्ञात हुआ।

क्र.	विवरण	हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
1	समय पर ऋण की अदायगी करते हैं।	290	80.55
2	समय पर ऋण की अदायगी नहीं कर पाते हैं।	70	19.45

80.55 प्रतिशत हितग्राहियों ने यह बतलाया कि वे समय पर ऋण की किश्तों की अदायगी करते हैं जबकि 19.45 प्रतिशत ने समय पर ऋण की अदायगी नहीं कर पाना स्वीकार किया।

ऋण अतिदेयता के कारण

हितग्राहियों द्वारा अपने जीवन यापन को आर्थिक दृष्टि से सहज एवं सुगम बनाने, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंकों से ऋण लिये जाते हैं। हितग्राही द्वारा समय–समय पर ऋण लिया जाता है, परन्तु कई बार वह अपना ऋण चुकाने के स्थिति में नहीं रहता क्योंकि या तो उस पर ऋण भार की अधिकता होती है या उसके द्वारा अर्जित आय इतनी कम होती है कि वह ऋण से मुक्ति पाने में असमर्थ रहता है।

हितग्राहियों के मध्य किये गये सर्वेक्षण के आधार पर ऋण वापस न होने के कारणों का विवरण इस प्रकार है।

तालिका क्रमांक 6

हितग्राहियों के ऋण अतिदेयता के कारण

क्र	विवरण	कारण का प्रतिशत
1	अपर्याप्त स्वीकृत ऋण राशि से व्यवसाय का समुचित संचालन न होना	21.8
2	अनियंत्रिणीय परिस्थितियाँ	40.5
3	ऋण पुर्नभुगतान नियमों की जटिलता	12.2
4	पारिवारिक समस्याएं	9.1
5	कानूनी कार्यवाहियों पर व्यय	11.4
6	ऋण राशि का अनुत्पादक कार्यों पर व्यय	4.8

21.8 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा ऋण वापस न करने का एक प्रमुख कारण उनके द्वारा लाभार्जन न कर पाना है लाभार्जन न होने का प्रमुख कारण यह है कि हितग्राहियों को जिस गतिविधियां हेतु ऋण प्रदान किया गया है वह उस गतिविधि को सफलतापूर्वक संचालित करने में असमर्थ रहता है क्योंकि गतिविधि संचालन हेतु जितने ऋण की आवश्यकता होती है ऋण उससे कम प्राप्त होता है। जिससे गतिविधि का सफलता पूर्वक संचालन कठिन प्रतीत होता है। ऋण की कमी के साथ ही गतिविधि संचालन हेतु तकनीकी सलाह का भी अभाव होता है यद्यपि गतिविधि संचालन के पूर्व हितग्राही को प्रतिक्षण दिया जाता है लेकिन यह प्रशिक्षण कई बार अपर्याप्त होता है और हितग्राही गतिविधि संचालन में कठिनाई अनुभव करता है।

40.5 प्रतिशत हितग्राहियों के अनुसार परिस्थितियाँ नियंत्रण से बाहर हो जाने के कारण वे ऋण वापस करने में असमर्थ रहे। कृषक हितग्राही की दशा में प्राकृतिक आपदा जैसे अति वर्षा, अवर्षा, ओला, पाला इत्यादि के कारण फसलों को नुकसान हुआ जिसके कारण वे पर्याप्त लाभ अर्जित नहीं कर पाये एवं वे ऋण चुकाने में असमर्थ रहे।

व्यवसाय हितग्राही की दशा में व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की कमी, उत्पाद की माँग में कमी, मशीनों में खराबी, पशुओं की बीमारी एवं मृत्यु कुछ ऐसे कारण है जो हितग्राही के नियंत्रण में नहीं रहते। इनमें से कोई भी कारण उत्पन्न होने से हितग्राही के लाभ में कमी होती है एवं वह ऋण वापस करने में असमर्थ रहता है।

12.2 प्रतिशत हितग्राहियों के अनुसार वे वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रचलित नियमों के अधीन शर्तों को पूर्ण न करने के कारण ऋण वापस नहीं कर सके। बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने के साथ ही भुगतान अवधि का भी निर्धारण कर दिया जाता है। प्रायः प्रथम किश्त के भुगतान के समय कुछ हितग्राही किश्त चुकाने की स्थिति में नहीं रहते। अतः वे प्राप्त ऋण राशि का उपयोग ऋण चुकाने में करते हैं परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी गतिविधि के संचालन हेतु पूँजी की कमी महसूस होती है एवं पूँजी की कमी के कारण वे कुशलपूर्वक गतिविधि का संचालन नहीं कर पाते एवं उन्हें हानि होने लगती है जिससे वे ऋण वापस करने में असफल रहते हैं।

सर्वेक्षण में 9.3 प्रतिशत हितग्राहियों पे माना कि पारिवारिक विस्थापन उनके द्वारा ऋण वापस न करने का कारण रहा है क्योंकि जब उन्होंने ऋण लिया था तब वे संयुक्त परिवार में रह रहे थे। अतः उनके खर्चे कम थे लेकिन पारिवारिक विस्थापन के कारण उनके खर्चे बढ़ गये एवं वे गतिविधि में लाभ प्राप्त होने के बाद भी ऋण वापस नहीं कर पाये।

सर्वेक्षण के अनुसार 11.4 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा ऋणभुगतान न करने के कारण कानूनी कार्यवाहियों का व्यय भार था। लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थिति में मुकदमे बाजी के कारण हितग्राहियों द्वारा ऋण राशि का उपयोग कानूनी कार्यवाहियों में कर लिया गया एवं वे ऋणों का भुगतान नहीं कर पाये।

सर्वेक्षण के अनुसार 4.8 प्रतिशत हितग्राही सामाजिक एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों जैसे शादी, मृत्यु एवं अन्य सामाजिक उत्सव के बोझ के कारण ऋण वापस नहीं कर पाये। सामाजिक एवं पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने में उन्होंने अपने लाभ का उपयोग किया एवं ऋण वापस करने में असमर्थ रहे।

परिणाम

अग्रणी बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को उनकी ऋण सम्बंधी आवश्यकता, उपयोग व गतिविधियों के आधार पर तीन वर्गों में विभक्त किया गया है।

सर्वेक्षित हितग्राहियों में सर्वाधिक 318 हितग्राहियों (66.26 प्रतिशत) हितग्राहियों द्वारा कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण लिया गया। जिसमें से 240 हितग्राहियों ने प्रत्यक्ष कृषि ऋण लिया। प्रत्यक्ष कृषि ऋण लेने वाले हितग्राहियों में सर्वाधिक 86 हितग्राहियों द्वारा स्प्रिंकलर एवं विद्युत पंप क्रय करने हेतु ऋण लिया गया। इसके पश्चात् क्रमशः 38 हितग्राहियों ने ट्रेक्टर, 17 ने ट्यूबवेल, 11 ने खाद एवं बीज, 7 ने थ्रेशर 2–2 हितग्राहियों ने सीड ड्रिल एवं कृषि भूमि हेतु तथा 1 हितग्राही द्वारा कुंआँ खुदवाने के लिये ऋण लिया गया। संबंधित गतिविधियों के लिये कुल 39 हितग्राहियों द्वारा ऋण लिया गया जिसमें सर्वाधिक 18 हितग्राहियों ने डेयरी (दुग्ध व्यवसाय), 13 ने मुर्गी पालन, 5 ने मछली पालन एवं 3 हितग्राहियों ने फलों के बगीचे लगाने के लिए ऋण लिया है। लघु उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से 46 (19.16प्रतिशत) ने ऋण प्राप्त किया। इनके द्वारा अगरबत्ती, मोमबत्ती, चाक, फाइल कवर, जूते, खिलौने, गलीचा, चूड़ियाँ, स्क्रू बनाने की इकाईयाँ स्थापित की गई हैं। अन्य हितग्राहियों द्वारा फोटोकापी, ब्यूटी पार्लर, स्टेशनरी, वीडियों शूटिंग, किराना, कैसिट, गैरेज, आटा चक्की, सिलाई की दुकान प्रारंभ करने के लिए ऋण लिया है, शेष 9 हितग्राहियों द्वारा आटो रिक्शा खरीदने के लिए ऋण लिया गया।

सेवा क्षेत्र में कुल 70 हितग्राहियों (14.58 प्रतिशत) ने ऋण लिया है। सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक 44 हितग्राहियों द्वारा भवन निर्माण एवं मौजूदा भवन की मरम्मत हेतु ऋण लिया गया है। 20 हितग्राहियों द्वारा उपयोग ऋण, 6 हितग्राहियों द्वारा ऑफिस बनाने एवं 2 क्लीनिक प्रारंभ करने के लिए ऋण लिया गया है।

सर्वेक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि अनेक हितग्राहियों को आवेदित ऋण राशि से कम ऋण राशि स्वीकृत की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वे पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार अपने उद्यम कर संचालन नहीं कर सके। इससे उन्हें अपेक्षित लाभ भी नहीं हुआ है, कुछ हितग्राहियों को इससे उन्हें हानि होने की भी जानकारी प्रदान की। चयनित हितग्राहियों द्वारा आवेदित एवं प्राप्त ऋण राशि का विवरण इस प्रकार है।

निष्कर्ष

अग्रणी बैंक से यह अपेक्षा रखी गई की वह स्थानीय साहसियों को कृषि एवं लघु उद्योग की स्थापना के लिये प्रेरित करें। साख संस्थायें आपस में मिलकर कार्य करें एवं अग्रणी बैंक द्वारा उपकरणों की पूर्ति, तकनीकी सहायता, कच्चा माल एवं विपणन सुविधाओं पर ध्यान दिया जावे। जिले में विकास के अवरोधों को पहचाना जाये एवं अग्रणी बैंक उपयुक्त एजेंसी को अवरोध दूर करने के लिए प्रेरित किया जाये। ''राष्ट्रीय साख समिति'' का यह विचार था कि अग्रणी बैंक का जिले के बैंकिंग व्यापार पर एकाधिकार नहीं होगा। वह केवल जिले की शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में नेतृत्व करेगा साथ ही अन्य बैंकों के साथ बैंक शाखाओं के विस्तार में सहयोग करेगा।

कृषि की विशेषताओं के अनुरूप ऋण, छोटे ऋण नकदी रूप में दिये जाने चाहिए, गिरवीं ऋण योजना/पशुचिकित्सकों को ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग क्षेत्र में वृद्धि, ऋण की मात्रा, उपलब्धि एवं समय पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ऋण प्रणाली में एकरूपता, स्थानीय भाषा का उपयोग किया जाये।

संदर्भ सूची

1. *सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वार्षिक ऋण योजना, 2017–18*
2. *सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट 2017–18*
3. *Website : www.centralbankofindia.co.in*
4. *Build Serve Lead, Central Bank of India Mumbai*
5. *Report on Trend and Progress of Banking in India*
6. *सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वार्षिक ऋण योजना, 2017–18*
7. *सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट 2017–18*
8. *Websitewww.centralbankofindia.co.in*
9. *Build Serve Lead, Central Bank of India Mumbai*
10. *Report on Trend and Progress of Banking in India*
11. *सेन्ट्रल रश्मि, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,*
12. *प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया*
13. *इ–सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,*
14. *Circular, Central Bank of India.*
15. *Annual Credit Plan, Central Bank of India.*